

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में द्वितीय पाली में डिप्लोमा इंजी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिग्री स्तरीय संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ संलग्नक-3 में अंकित निजी क्षेत्र में स्थित डिग्री स्तरीय संस्थाएं, जिन्हें द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1544	नौलम कालेज ऑफ इंजी ऑफ टेक्नालाजी ग्राम कोराई तह० जिलाबली एन.एच.11 आगरा	सिविल इंजी० मेकेनिकल इंजी०(प्रोड०)	30 30	30 30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

**:-कार्यालय भ्रम:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय ज्यौंफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गरी पर विचार कर्ता हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-02 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किने गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किने जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किने जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आदृत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अर्धी पाठ्यक्रम एवं उसने अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० /द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1544	कील्य कंसिज ऑफ इंजीनियरिंग एन्ड टेक्नॉलॉजी, वाम-बौराई, तह- किरौली, एनएफ०-11, अरगवा।	डिप्लोमा इन इंजी० मैकेनिकल इंजी०	30 30	30 30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समन-समन पर शासन द्वारा निर्गत किने जाने वाले आह्वानादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितिई तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किने जाने) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

*(Handwritten Signature)*

**कार्यालय,**

**उच्च, पारिधिक् शिक्षा परिषद्,**

**इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)**

संख्या- उच्चिपा/परिषद् सम्बद्धता/2021/3537

बिबरण- दिनांक- 09/09/2021

**:-कार्यालय तार:-**

उच्चिद्द भारतीय तन्धनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/राज्यीकी उच्चनित्तन अलक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैबिका सत्र 2021-22 हेतु सिध्दीया भारतीय तन्धनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदित पदतन कित्त जतने के उपरान्त पारिधिक् शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार पदतन कित्त जतने हेतु दिनांक- 09.09.2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघटित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पदतनकनः पलेस सम्पन्न वृद्धि सहित अलग सटी प्त विधर करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार पदतन कित्त जतने का निर्णय कित्त गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में कित्तने नये निर्णय के अनुकूल में कित्तित संस्था को पारिधिक् शिक्षा परिषद्, 30 पर उच्चतत द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सिध्दकित्तित करने के अधीन पदतनकन प्त उनमें अकित्त पलेस सम्पन्न हेतु सम्बद्धता विस्तार पदतन कित्त जतने हे-

संस्था का सैबि सत्रे नाम : 1544-NEELAM COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, VILL. KORAI, TEHSIL KIRGALI, MH-11 , AGRA

क्र.सं०	पदतनकन का नाम	ए०.ए०.सी०.टी०.ई०/ सी०.सी०.ए०.ई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित पलेस सतत	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित पलेस सतत
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०.ए०.सी०.टी०.ई०/सी०.सी०.ए०.ई० द्वारा सिध्दकित्तित की नये सतते शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था इलाहाबाद पारिधिक् शिक्षा परिषद् सत्र 1992 तथा पारिधिक् शिक्षा परिषद् विधिधनसवली 1992, सेमेस्टर विधिधनसवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं अटेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा सिध्दकित्तित शुल्क तैज करीब इ०.ए०. सी०.टी०.ई० पदतनकनसे हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, टी करीब कार्यालयी पदतनकन हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी करीब पदतनकनसे (टी करीब कार्यालयी पदतनकन के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क टी करीबक द्वारा कित्त जतने का पालन कित्तित जायेगा। उपरोक्त के अधिधिकतत छात्र/छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में सम्प-सम्प पर साक्ष्य द्वारा निर्णय कित्तित जतने वाले सम्बन्धित पत्राची होगी, और तदनुसार कार्यालयी कित्तित जतने आवश्यक होगा। कित्तित निर्धारण समिति द्वारा पदि सत्र 2021-22 हेतु कित्त का पुनर्निधारण कित्तित जतने हे, जो कित्त की नवीनतम दरें सतनु होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०.प०) पारिधिक् शिक्षा समितियां तथा उन समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध कित्तित जतने) विधिधनसवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त पलेस पारिधिक् शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित छात्रों को ही पलेस दिया जायेगा। सैबि के विवरण सत जतने की सिध्दति में इलाहाबाद साक्ष्य के निर्देशानुसार ही पलेस की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्प-सम्प पर निर्मित सतसतरीय के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जतना करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०.ए०.सी०.टी०.ई०/सी०.सी०.ए०.ई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदित पालन कित्तित जतने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था इलाहाबाद साक्ष्य द्वारा कित्तने नये विधिधनसवली/अधिधनसवली/सतसतरीय/सैबि/सैबि एवं निर्देशक, पारिधिक् शिक्षा, उ०.प०, संयुक्त पलेस पारिधिक् शिक्षा परिषद्, उ०.प० तथा पारिधिक् शिक्षा परिषद्, उ०.प० द्वारा कित्तने नये विधियों, विधिधनसवली, अटेशों, निर्देशों